DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- DATED----------

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
WEDNESDAY, MAY 31, 2023

Govt Planning To Build Regular Jail At Narela

To Come Up Near High-Security Prison Complex

Atul.Mathur@timesgroup.com

File photo

Officials said the move would help in decongesting the other three crowded prison complexes, including Tihar, to some extent

New Delhi: Delhi government has decided to build a regular jail along with a high security prison complex in northwest Delhi's Narela.

As per the initial proposal, Narela jail, which will be spread over 40 acres, was to have a prison complex for 250 high-risk prisoners, including terrorists and hardened criminals. According to officials of Delhi government's home department, the proposed prison complex will have enough space to build a separate jail for undertrials and those convicted for white collar and petty crimes.

A senior official said the Union ministry of home affairs, which is funding the construction of Delhi's fourth prison complex, has given its approval to build a separate jail for other prisoners, which may have the capacity to accommodate 1,800-2,000 inmates.

"This will help us decongest the other three prison complexes. The majority of these inmates are undertrials," said an official, adding that the total capacity of the three prison complexes was a little over 10,000, while more than 18,000 prisoners were lodged there.

While the high-secured prison complex for hardened criminals will have a wheel-and-spoke design similar to that of Andaman's Cellular Jail, officials said the Public Works Department will soon be roped in to prepare the design for the regular jail.

AN OFFICIAL SAYS

The total capacity of the three prison complexes is a little over 10,000, while more than 18,000 prisoners are lodged there

The prison complex will be built in two phases, with the deadline for the first phase likely to be in the middle of 2024. Delhi government's prison department has already got possession of the land from the Delhi Development Authority (DDA).

The prison complex will be constructed with modern security features, with an automated locking system that will be triggered in cases of riots or in-prison clashes. The guards will have body-worn cameras, said an official.

"Currently, padlock systems are in use in the prisons at Tihar, Rohini and Mandoli. In an automated locking system, jail staff can open or lock doors after pressing a button," the official explained.

Another official added that the cells would be built in such a way that high-risk inmates don't get an opportunity to see or talk to each other. "We want to ensure that they do not form gangs inside," the official said.

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली, बुधवार, 31 मई 2023

झुग्गियां हटाने पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार

अदालत से

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) को उसके मुख्यालय के निर्माण के लिए आवंटित भूमि पर बसी झुग्गी बस्ती को हटाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने तोड़फोड़ की कार्रवाई दो जून के बजाय 15 जून को करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने वसंत विहार में स्लम क्लस्टर प्रियंका गांधी कैंप के निवासियों की ओर से दाखिल याचिका पर यह निर्देश दिया है। उन्होंने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) से याचिकाकर्ताओं के पुनर्वास के लिए प्रतिवेदन/मांग पर विचार करने और इस बीच उन्हें एक अस्थायी आश्रय में स्थानांतरित करने के लिए कहा। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस कैंप में पिछले तीन दशकों से लोग रहे हैं, ऐसे में 2015 की पुनर्वास नीति के तहत यहां रह रहे लोग पुनर्वास के हकदार है। एनडीआरएफ की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने कहा कि मुख्यालय का निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।

2020 में एनडीआरएफ को दी गई थी भूमि

न्यायालय को बताया गया कि डीडीए द्वारा 2020 में एनडीआरएफ को यह विवादित भूमि आवंटित की गई थी और वर्तमान में बल का मुख्यालय पट्टे के परिसर में स्थित है, जिसके लिए किराए के रूप में करोड़ों रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इसके बाद न्यायालय ने कहा कि एनडीआरएफ मुख्यालय के निर्माण को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन पक्षकारों के हितों को संतुलित करने की आवश्यकता है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI WEDNESDAY, MAY 31, 2023 DATED----------

Fresh Talk Of Sealings Has Traders Worried

Panel Has Conveyed To SC Its Plan To Resume Visits

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Traders' associations in the city have expressed concern at a report submitted by the Supreme Court-appointed judicial committee on sealing.

Last month, the monitoring committee filed a report in the court stating that in order to "arrest the downslide in efforts to stop illegal and unauthorised constructions, the monitoring committee has decided to review its decision and proposes to resume its physical visits in terms of the mandate already given".

According to traders, the monitoring committee's step will affect the business of thousands of people.

Chamber of Trade and Industry (CTI) Chairman Brijesh Goyal said: "More than 100 traders organisations have expressed concern by contacting CTI on the matter. While the MCD and Delhi government are working towards giving relief to the traders regarding sealing, the Master Plan 2041 of Delhi Development Authority (DDA) is also coming, in which all the aspects related to sealing have been included, the monitoring committee is again talking about taking action in the markets."

CTI general secretaries Vishnu Bhargava and Ramesh Ahuja said that the geographical and business conditions of Delhi have changed in the last several years.

"MCD, Delhi government and DDA are working towards opening the already sealed shops. And in such a situation, this report of the monitoring committee doesn't make any sense. In fact, if all the decisions will be taken by the monitoring committee, then what is the point for MCD, DDA and the Delhi government?" asked CTI president Subhash Khandelwal.

Brijesh Goyal added that the CTI would contact legal experts and lawyers on this matter. "The subject of the petition will be discussed with the mayor and the ministers of the Delhi government as well," he said.

MCD officials told **TOI** that they had "no clue" about the report.

According to the monitoring committee's report, in 2022, the MCD commissioner was ordered to report all the properties sealed or de-sealed on the orders of the committee. In the report by the commissioner, the seals of 243 properties were found to be tampered with. The officials provided reports of 3,998 properties — 2,577 of them with another type of construction in the basement instead of stilt parking.

NGT asks panel to take action against industrial unit

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The National Green Tribunal (NGT) has directed the monitoring committee constituted by the Supreme Court to act against an industrial unit operating in a residential area in Rajbir Colony in Gharoli Extension.

A plea filed at the tribunal alleged that the illegal industrial unit was causing "noise pollution and unbearable vibration".

"The monitoring committee appointed by the Supreme Court may look into the matter in coordination with other authorities concerned, including the Central Pollution Control Board (CPCB) and Delhi Pollution Control Committee (DPCC), to take appropriate action in accordance with the law within two months," said the bench.

The matter was also dealt with earlier by the NGT on a group of matters about the unauthorised operation of industrial units in residential areas.

The tribunal noted that the chief secretary of Delhi was to head the committee. Accordingly, a time-bound action plan was directed to be prepared and executed.

The tribunal had disposed of earlier cases and had ordered that there has to be continuous vigil against the causes of pollution, particularly burning of plastic and other waste, for protection of the environment and public health.

"The amount of compensation recovered must be properly utilised for legitimate purposes with the approval of the CPCB, as already directed. If there is any violation of environmental norms, the aggrieved party will be free to take remedies as per law, as and when necessary," said the previous order.

DDA may launch new scheme for 23k flats in June

Vibha. Sharma
@timesgroup.com

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) has deferred its plan to launch a housing scheme for 23,000 flats.

The scheme will be launched only after it is approved in the authority's meeting, said DDA member and BJP MLA Vijendra Gupta. "Since no meeting could take place in May, the project is now likely to be placed for approval in June," he added.

A DDA official said that the scheme would be launched in phases. "We are going to offer newly constructed flats in smaller numbers after studying the market's reaction, and all the 23,000 flats won't be put up for sale in one go. We have also planned to amend the housing policy before the first phase of launch, which is likely by mid-June," said the official.

The rates of the flats will be finalised only after getting the approval, and the houses will be allotted through a computerised draw of lots. A majority of these flats are located in Narela sub-city.

Following a previous amendment, for the first time, any person having a flat or plot of land in Delhi, measuring less than 67 square metres, became eligible to apply for the allotment of newly constructed flats offered by DDA. Prior to this modification, DDA's regulations did not allow any individual to apply for allotment of the flats, if he/she or family members had any flat or plot irrespective of its area, the official said.

A senior DDA official earlier said the authority planned to put on hold sale of flats (around 16,000 units) under the old housing schemes after the launch of the new scheme to avoid confusion . "When the new scheme will be launched, we may put the sale of these flats on hold for one or two months," said the official.

To improve saleability of the new flats, DDA has undertaken various remedial measures, including improvement of transport infrastructure, construction of Urban Extension Road –II, permitting amalgamation of flats, allotment on first-come, first-served basis and some concession to the purchasers.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 31 मई 2023

जून में DDA ला रहा 23 हज़ार फ्लैट

ज़्यादातर LIG और EWS कैटिगरी के ये फ्लैट्स नरेला में होंगे, पहले मई में आनी थी स्कीम

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जून में 23000 फ्लैटों की स्कीम ला सकता है। पहले इस स्कीम को मई में ही लाया जाना था, लेकिन मई में बोर्ड मीटिंग नहीं हो सकी जिसके कारण हाउसिंग स्कीम में देरी हुई। अब जून में होने वाली बोर्ड मीटिंग में इसे रखे जाने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार, जून के पहले हफ्ते में डीडीए की बोर्ड मीटिंग होने की संभावना है। डीडीए की तरफ से इस हाउसिंग स्कीम को बोर्ड मीटिंग में रखने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं।

डीडीए के एक अधिकारी के अनुसार, इस स्कीम में ज्यादातर फ्लैट्स एलआईजी और ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के होंगे। इनमें से ज्यादातर फ्लैट्स नरेला में होंगे। जून में होने वाली अथॉरिटी मीटिंग में इस हाउसिंग स्कीम के प्रस्ताव को रखा जाना है। स्कीम इस मीटिंग में अप्रूव होने के तुरंत बाद लॉन्च कर दी जाएगी, जिसके बाद लोग इसमें आवेदन कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि इस स्कीम में फ्लैट्स की कीमतें 2022 की स्कीम से मिलती-जुलती ही रहेंगी। हालांकि अंतिम कीमतें स्कीम लॉन्च होने के बाद ही पता चलेंगी। 2022 की स्कीम में एलआईजी फ्लैट्स की कीमतें 18.10 लाख से 22.8 लाख के करीब थीं। वहीं ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की कीमतें 7.91 लाख से 12.42 लाख के बीच रखी गई थीं।

40,000
फ्लैट नरेला, द्वारका, जसोला में तैयार हैं, करीब 16 हजार नहीं बिक रहे डीडीए के फ्लैट्स

18.10
लाख से 22.8 लाख के करीब कीमतें थीं एलआईजी फ्लैट्स की 2022 की स्कीम में

7.91
लाख से 12.42 लाख के बीच रखी गई थीं ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की कीमतें

जून के पहले हफ्ते में डीडीए की बोर्ड मीटिंग होने की संभावना, हाउसिंग स्कीम को बोर्ड मीटिंग में रखने की पूरी तैयारियां

डीडीए के करीब 40 हजार फ्लैट्स इस समय नरेला, द्वारका, जसोला आदि जगहों पर तैयार हैं। इनमें से ज्यादातर फ्लैट्स ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के हैं और ये नरेला में है। डीडीए अधिकारी के अनुसार, 16000 के करीब फ्लैट्स बिक नहीं पा रहे हैं। लोगों को यहां कनेक्टिविटी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव नजर आ रहा है। इन कमियों को दूर करने के लिए डीडीए ने यहां सड़क समेत अन्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। रिठाला-बवाना-नरेला में प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के बनने से इन फ्लैट्स की डिमांड बढ़ने की संभावना है। इससे यहां कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी।

दिल्ली में घर खरीदने का मौका

- पहले मई में ही लाई जाने वाली थी यह स्कीम, लेकिन नहीं हुई डीडीए बोर्ड की बैठक
- अब जून के पहले हफ्ते में बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें हाउसिंग स्कीम रखे जाने की संभावना

आवेदन बढ़ने की उम्मीद

इस बार की डीडीए स्कीम इसलिए भी खास है, क्योंकि नए नियम के तहत वे लोग भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे जिनके पास 67 स्क्वायर मीटर या इससे छोटे साइज के फ्लैट या प्लॉट हैं। अभी तक राजधानी में वैसे लोग डीडीए की स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते थे, जिनके पास पहले से घर हैं।

ऐसे मामले दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं : कानूनी जानकार

'सरकारी एजेंसियों के लिए बारापूला हादसे की जिम्मेदारियों से बच पाना मुश्किल'

Prachi.Yadav@timesgroup.com

चाहे पीडब्ल्यूडी हो या एनएचएआई। बारापूला फ्लाईओवर के निर्माण कार्य से जुड़ी किसी भी एजेंसी के लिए 26 मई के हादसे की जिम्मेदारी से बच पाना मुश्किल है। जाने माने क्रिमिनल लॉयर और सीनियर एडवोकेट केके मनन ने कहा कि ऐसे मामले आईपीसी की धारा 304ए में दर्ज होते हैं, जो दंडात्मक कार्रवाई को सुनिश्चित करते हैं। पुलिस का एक्शन अहम है कि वह किन धाराओं में केस दर्ज कर कौन से सबूत जुटाती है। वहीं, पीड़ित अदालत से मुआवजे की मांग कर सकते हैं।

एमसीडी और डीडीए के वकील पैनल में शामिल रहे एडवोकेट कुश शर्मा ने कहा कि मौजूदा मामला पीडब्ल्यूडी की लापरवाही का है, जिसने चेतावनी वाला कोई साइनेज तक नहीं लगाया था। चूंकि, प्रोजेक्ट एनएचएआई का है, इसलिए उसकी भी जवाबदेही बनेगी। कोई भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। पीड़ित परिवार मुआवजा के लिए दावा पेश कर सकते हैं। दंडात्मक कार्रवाई में लापरवाही से मौत का मामला बनेगा। इसमें महज दो साल तक की सजा का प्रावधान है।

वकीलों के मुताबिक, बड़ी कार्रवाई मुआवजे के जरिए तय होगी। जैसा कि 2015 के मिलेनियम पार्क हादसे में हुआ था। पार्क में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग के लिए खोदे गए एक गड्ढे में गिरकर 11 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। वह स्कूल से पिकनिक मनाने गया था। हाई कोर्ट ने 2018 में इस केस में फैसला सुनाया था। पीडब्ल्यूडी को पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने को कहा था।

HC के दिशा-निर्देश

मिलेनियम पार्क हादसे के बाद HC ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, सीपीडब्ल्यूडी, DDA, PWD, नगर निगम, दिल्ली कंट्रोनमेंट बोर्ड, NDMC, DJB, बिजली कंपनियों, टेलीफोन कंपनियों, पुलिस कमिशनर समेत सभी पब्लिक अथॉरिटीज और लैंड ओनिंग एजेंसियों के लिए निर्देश दिए थे।

- सभी मैनहोल, पिट, होल, टैंक या जमीन पर खुले गड्ढे की नियमित रूप से जांच और रखरखाव हो।
- सभी डिपार्टमेंट को शेड्यूल और प्रोटोकॉल तैयार करना होगा।
- ऐसी जगहों से आम जनता को दूर रखा जाए, चेतावनी वाले बोर्ड के जरिए ऐसी जगहों के बारे में लोगों को सूचित करें। हो सके तो सभी गड्ढों को ढकें।

---

31 मई, 2023 दैनिक जागरण 7

23 हजार फ्लैटों की योजना लाएगा डीडीए

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जून में अपनी अगली आवासीय योजना लांच करेगा। बोर्ड बैठक में जून के पहले सप्ताह में संभावित योजना को स्वीकृति भी मिल जाने के आसार हैं। तभी इन फ्लैटों की कीमतें तय की जाएंगी। डीडीए अधिकारियों का कहना है कि इस आवासीय योजना में निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लगभग 23 हजार नवनिर्मित फ्लैटों की पेशकश की जाएगी। योजना के अधिकांश फ्लैट नरेला में हैं। उन्होंने कहा कि फ्लैटों का आवंटन कम्प्यूटरीकृत ड्रा से किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक आवास योजना को प्राधिकरण की बैठक में मंजूरी मिलने पर शुरू किया जाएगा। यह योजना पहले मई में शुरू होनी थी लेकिन प्राधिकरण की बैठक नहीं होने से मामला लटका रहा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER नई दिल्ली। बुधवार • 31 मई • 2023 राष्ट्रीय सहारा

विश्वास नगर इलाके के कस्तूरबा नगर में डीडीए की कार्रवाई से डरकर अपने मकान तोड़ते लोग। फोटो : एसएनबी

डीडीए की कार्रवाई के खौफ से खुद ही तोड़े मकान

नई दिल्ली (एसएनबी)। विश्वास नगर इलाके के कस्तूरबा नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ मंगलवार से की जाने वाली डीडीए की कार्रवाई के डर से लोगों ने खुद ही अपने भवन गिराने शुरू कर दिए हैं।

गौरतलब है कि कस्तूरबा नगर में लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण करके जो मकान बना लिए थे, उन पर कार्रवाई करने के लिए 22 मई को कोर्ट के आदेश पर डीडीए प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा थे। उस दौरान भवन में रहने वालों ने डीडीए की कार्रवाई का विरोध करते हुए हंगामा किया था। पास की शिवम एन्क्लेव में पत्थर भी फेंके गए थे, जिसकी वजह से पुलिस की 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थीं। डीडीए द्वारा की जा रही कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति कोर्ट में चला गया और कोर्ट से आग्रह किया कि गर्मी के चलते इन भवनों में रहने वाले लोग और उनके बच्चे रोड पर आ जाएंगे, इसलिए कुछ समय की मोहलत दी जाए। इसके बाद कोर्ट ने 29 मई तक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, ताकि लोग अपना समान और बच्चों को दूसरी जगह ले जा सकें। शिवम एन्क्लेव के पूर्व प्रधान शंटी ग्रोवर ने बताया कि 30 मई को अवैध रूप से बने इन भवनों पर डीडीए को कार्रवाई करनी थी। डीडीए की कार्रवाई के डर से इन भवनों में रहने वाले लोगों ने खुद ही अपने मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया।

30 मई को अवैध रूप से बने इन मकानों के खिलाफ डीडीए को करनी थी कार्रवाई

विश्वास नगर के कस्तूरबा नगर इलाके में अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों का मामला

स्थिति को देखते हुए विवेक विहार पुलिस व रैपिड एक्शन फोर्स मौके पर पहुंच गई, ताकि कोई हंगामा खड़ा न हो। यह भी जानकारी मिली है कि इन मकानों में रहने वाले लोगों ने विधायक ओमप्रकाश के कार्यालय पर जाकर हंगामा भी किया, लेकिन विधायक कार्यालय में मौजूद नहीं थे।

गौरतलब है कि 18 ब्लॉक विश्वास नगर से निकलने वाली सड़क, जो शिवम एन्क्लेव से होते हुए विवेक विहार रोड पर निकलती है, इस मार्ग पर कस्तूरबा नगर में अवैध रूप से झुग्गी वालों ने अतिक्रमण कर मकान बना लिए थे। इन सभी मकानों को कोर्ट के आदेश पर डीडीए को हटाना था।